संख्या:21/2020/773/सत्रह-म-2020-6-9 (333)/16 टी0सी0

प्रेषक,

एस0एम0ए0 रिजवी
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिंनाक 09 जुलाई, 2020

विषय वित्तीय वर्ष 2018-19 (कार्यान्वयन वर्ष 2020-21) हेतु ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत मछुआ आवास निर्माण परियोजना में सामान्य मद हेतु अवशेष/अप्रयुक्त धनराशि रू0 9.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 697/ नि0शा0/2019-20 दिनांक 18 मई, 2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें,जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2018-19 (कार्यान्वयन वर्ष 2020-21) हेतु ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत सामान्य मद में 296 मछुआ आवासों के निर्माण हेतु निर्गत कुल रू0 355.20 लाख की वित्तीय स्वीकृति में से अवशेष/ अप्रयुक्त धनराशि रू0 9.00 लाख (केन्द्रांश रू0 5.40 लाख +राज्यांश रू0 3.60 लाख) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 में वर्ष 2018-19 के सापेक्ष्य सामान्य मद में 296 मछुआ आवासों के निर्माण हेतु पत्र संख्या-जे-12012 /27 /2009 एफवाई(डब्ल्यू0यू0) दिनांक 30.10.2019 द्वारा कुल रू0 213.12 लाख का केन्द्रांश अवमुक्त किया गया था,जिसके सापेक्ष शासनादेश दिनांक 27.12.2019 द्वारा 296 आवासों के निर्माण हेतु रू0 355.20 लाख (केन्द्रांश रू0 213.12 लाख तथा राज्यांश रू0 142.08 लाख) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी।उक्त वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष वर्ष 2019-20 में 31 मार्च, 2020 तक मात्र रू0 346.20 लाख की धनराशि ही व्यय हो सकी तथा शेष धनराशि रू0 9.00 लाख समर्पित कर दी गयी ।

3- भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या- जे/ 18001/1/2017 एफवाई दिनांक 23.04.2020 द्वारा वर्ष 2019-20 में ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्र्गत निर्गत केन्द्रांश को वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय करने हेतु पुनर्वैध कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में आय-व्ययक में प्रश्नगत योजनान्तर्गत मछुआ आवास हेतु रू0 1200.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

4- अत: इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 (कार्यान्वयन वर्ष 2020-21) में ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत मछुआ आवासों के निर्माण योजना के अन्तर्गत सामान्य मद में दो जनपदों-देवरिया व गोरखपुर में अवशेष/अप्रयुक्त धनराशि रू0 9.00 लाख (रू0 नौ लाख मात्र) (केन्द्रांश रू0 5.40 लाख+राज्यांश रू0 3.60 लाख) की वित्तीय स्वीकृति निम्न तालिकानुसार श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0सं0	**जनपद का नाम**	**निर्गत होने वाली वित्तीय स्वीकृति (रू0 लाख में)**		
		केन्द्रांश (60 प्रतिशत)	**राज्यांश (40 प्रतिशत)**	**योग**
1	2	3	4	5
1	देवरिया	0.72	1.08	1.80
2	गोरखपुर	2.88	4.32	7.20
	योग-	3.60	5.40	9.00

(रू0 नौ लाख मात्र)

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार की सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन के आदेश संख्या-20/2016/2362/सत्रह-म-2016-6-9(333)/16 दिनांक 24 दिसम्बर, 2016 द्वारा निर्गत दिशा- निर्देश/गाइड लाइन्स, शासनादेश संख्या-18/2017 /1128/ सत्रह-म-2017-6-9(333)/16 दिनांक 07 जुलाई, 2017 एवं शासनादेश संख्या- संख्या-2/2018 /2236/ सत्रह-म-2018-6-9(333)/16 टी0सी0 दिनांक 23 जनवरी,2018 द्वारा निर्गत संशोधित मार्ग- निर्देश में दिये गये निर्देशों व अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर / बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

(6) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत योजना/ कार्यक्रम में पूर्व में इस मद में किसी अन्य योजना / स्रोत से धनराशि प्राप्त नही हुई है ।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(8) विशेषीकृत उपकरणों के क्रय हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा। इस हेतु निर्दिष्ट ई- टेण्डर/ जेम पोर्टल विषयक दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्टोर एण्ड परचेज रूल्स तथा सुसंगत नियमों के अनुरूप सामग्री भण्डार एवं पंजीयन की कार्यवाही की जायेगी। सामान्य एवं वार्षिक अनुरक्षण की नियमानुसार व्यवस्था की जायेगी। इसी प्रकार निर्माण,अवस्थापना,क्रय हेतु निर्धारित प्रक्रिया तथा सक्षम तकीनीकी अनुमोदन प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149-दस-2020-231/2020 दिनांक 24.03.2020, पत्र संख्या-4/ 2020/ बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 07.04.2020, पत्र संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक11.04.2020,पत्र संख्या-6/2020/बी-1-218/दस/2020-231/ 2020, दिनांक 18.05.2020 एवं पत्र संख्या- बी-1-1195/दस-16-94 दिनांक 06 जून,1994 में दिये दिशा-निर्देशों /प्राविधानों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(10) भारत सरकार के पत्रांक जे-18001/1/2017-एफवाई, दिनांक 23.04.2020 के प्रस्तर- 3 के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु डी0बी0टी0/पी0एम0एम0एस0 प्लेटफार्म का उपयोग तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण पत्र का प्रेषण EAT module of PFMS से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(11) धनराशि का आवंटन/एलाटमेन्ट मात्र किसी प्रकार का व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो,तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(12) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.com

5- उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक-2405-मछली पालन-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज योजना, 35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन मद के नामें डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149-दस-2020-231/2020 दि0 24.03.2020,पत्र संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 07.04.2020, पत्र संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11.04.2020 एवं पत्र संख्या-6/2020/बी-1-218/दस/2020-231/2020, दिनांक 18.05.2020 में दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-514/ ई-1-दस-2020,दिनांक 07 जुलाई,2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0एम0ए0 रिजवी)
विशेष सचिव।

संख्या- 21/2020/773/सत्रह-म-2020 तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन लखनऊ।
4. सम्बधित कोषाधिकारी, उ0प्र0।
5. वित्त एवं लेखाधिकारी,मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियो0 अनुभाग-3 ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।